न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गूर्जर, R.A.S.

प्रकरण सख्या:–22/2017 दायर दिनांक:–14.03.2017

जीसीएमएस नं. 2017/00055

केशन्ती पुत्री चिरमोली पत्नि सुखचंद उम्र 65 साल जाति जाटव निवासी नंगला मीना तहसील हिण्डौन जिला करौली

———सायला

बनाम

1. साधू जाटव पुत्र भागचंद उम्र 60 वर्ष जाति जाटव निवासी मूल्या का पुरा, नंगला मीना तहसील हिण्डौन जिला करौली
2. रामेश्वर जाटव पुत्र दयोजी उम्र 40 वर्ष जाति जाटव निवासी नंगलामीना तहसील हिण्डौन जिला करौली
3. बनी पुत्र दयोजी, उम्र 30 वर्ष जाति जाटव निवासी नंगला मीना तहसील हिण्डौन जिला करौली।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित:– 1. श्री हरिवल्लभ चतुर्वेदी अधिवक्ता सायल
2. श्री अशोक नीमनका अधिवक्ता गैरसायलान

निर्णय दिनांक

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा न0 135 रकबा 38 ऐयर, 144 रकबा 35 ऐयर, 152 रकबा 19 ऐयर कुल किता–3 कुल रकबा 92 ऐयर वाके तन ग्राम मुल्या का पुरा तन नंगला मीना, तहसील हिण्डौन जिला करौली में स्थित है जिसकी सायला तन्हा खातेदार टीनेन्ट है। सायला को उक्त आराजी अपने पिता चिरमोली से विरासत में प्राप्त हुयी है। सायल चिरमोली की एकमात्र पुत्री है। गेरसायलान का या अन्य किसी व्यक्ति का उक्त आराजी से कोई संबंध एवं वास्ता नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.02 17:23:32 IST
Reason: SelfAttested

सायला गरीब, कमजोर व वृद्ध महिला है [illegible] अपने [illegible] ससुराल ग्राम नयागांव (झोपडी) में निवास करती है एवं वही से किराये का ट्रैक्टर [illegible] काश्त करती ह एवं फसल दरोह करती है। गैरसायलान गिरोहबंद, झगडालू किस्म के व्यक्ति है जो लट्ठ [illegible]त के बल पर सायला की उक्त आराजी को जबरन छीनकर अवैध कब्जा करना चाहते है। वादिया ने इस वर्ष उक्त आराजी में फसल सरसो काश्त की थी जो सरसब्ज खडी हुई है।

सायला गरीब, कमजोर व वृद्व महिला है जो अपनी ससुराल ग्राम नयागांव (झोपडी) में निवास करती है एवं वही से किराये का ट्रेक्टर लाकर अपनी फसल काश्त करती है एवं फसल दरोह करती है। गैरसायलान गिरोहबंद, झगडालू किस्म के व्यक्ति है जो लट्ठ व ताकत के बल पर सायला की उक्त आराजी को जबरन छीनकर अवैध कब्जा करना चाहते है। वादिया इस वर्ष उक्त आराजी में फसल सरसो काश्त की थी जो सरसब्ज खडी हुई है।

गैरसायल संख्या 1 ता 3 के मन में बेईमानी व बदयांति पैदा हो गई है और उन्होने सायला की उक्त आराजीयात पर अवैध कब्जा करने की नीयत से दो–दो गह पाटोर चढा दी है। सायला दिनांक 01.03.2017 को अपनी फसल काटने ट्रेक्टर लेकर खेत पर पहुंची तो गैरसायलान वादिया की फसल काटते हुए मिले एवं उन्होने जबरन वादिया के खेत में करीब 15–20 दिन पूर्व पाटोर चढा दी है। जिसे देखकर वादिया हैरान व परेशान हो गयी । सायला ने तुरन्त गैरसायलान से इस प्रकार का अवैध व गैरकानूनी कृत्य करने से मना किया तो गैरसायालान एकदम नाराज हो गये एवं सायला को मारने पीटने पर आमदा हो गये। वादिया ने बडी मुश्किल अपनी जान बचाई। गैरसायलान ने वादिया को एलानिया धमकी दी है कि हम आयन्दा तुझे इस जमीन में फसल काश्त नहीं करने देगे एवं तेरी जमीन को हम छीनकर रहेंगे।

गैरसायलान गिरोहबंद, झगडालू किस्म के व्यक्ति है, यदि गैरसायलान अपने उक्त अवैध कृत्य में सफल हो गये तो सायला को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी द्रव्य में संभव नहीं है इस कारण न्यायहित में गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। गैरसायलान को पाबंद किये जाने से उन्हे कोई क्षति नहीं है।

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सायला स्वीकार किया जाकर ताफैसला मूलवाद गैरसायलान को इस अम्र की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि गैरसायलान सायला की आराजी खसरा न0 135 रकबा 38 ऐयर, 144 रकबा 35 ऐयर, 152 रकबा 19 ऐयर कुल किता 3 कल रकबा 92 ऐयर वाके तन ग्राम मूल्या का पुरा तन नंगला मीना तहसील हिण्डौन जिला करौली के उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे ना ही किसी अन्य से करावे, सायला को उक्त आराजी से बेदखल नहीं करे, सायला को शांतिपूर्वक तरीके से फसल काश्त करने व काटने से नहीं रोके तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे सायला के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव [illegible]।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर [illegible] जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान 1 ता 3 की ओर से [illegible] गोयल अधिवक्ता जरिये वकालतन उपस्थित आये एवं जबाव प्रा0 पत्र पेश किया

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2073–76, खाता संख्या 25 वाके ग्राम मुल्याकापुरा तहसील हिण्डौन हाल तहसील श्रीमहावीरजी पेश किये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.02 17:23:32 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्ष वकील उपस्थित। उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है, साथ ही गैरसायलान वकील द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सायल का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया है।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 135 रकबा 0.38 है0, 144 रकबा 0.35 है0, 152 रकबा 0.19 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.92 है0 वाके ग्राम मुल्याकापुरा तहसील श्रीमहावीरजी की खातेदारी केशंती पुत्री चिरमोली जाति जाटव सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 135 रकबा 0.38 है0, 144 रकबा 0.35 है0, 152 रकबा 0.19 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.92 है0 वाके ग्राम मुल्याकापुरा तहसील श्रीमहावीरजी में दर्ज खातेदार सायल है, जो दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकरन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन करने पर इस नतीजे पर पहुचे कि खसरा नम्बर 135 रकबा 0.38 है0, 144 रकबा 0.35 है0, 152 रकबा 0.19 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.92 है0 वाके ग्राम मुल्याकापुरा तहसील श्रीमहावीरजी में सायल खातेदार काश्तकार है, उक्त विवादित आराजीयात से गैरसायलान का कोई संबंध व ताल्लुक नहीं है। गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानूनन न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार सायल का प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू सायल के पक्ष में साबित नहीं होता है। ऐसे हालात में सायल का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायल का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित खसरा नम्बर 135 रकवा 0.38 है0, 144 रकबा 0.35 है0, 152 रकबा 0.19 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.92 है0 वाके ग्राम मुल्याकापुरा तहसील श्रीमहावीरजी स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है । पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 25.7.2024 को लिखाया जाकर [illegible] न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.02 17:23:32 IST
Reason: SelfAttested

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन